88/22 (14)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 231828

लेख्य पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 8,64,305/–
2.	मालियत	:	रू0 2,67,300/–
3.	स्टाम्प	:	रू0 86,500/–
4.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
5.	परगना	:	बिजनौर
6.	ग्राम	:	यूसुफनगर उर्फ [illegible]
7.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–100

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs 20000

INDIA NON JUDICIAL

Rs 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

231819

8.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
9.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.243 हेक्टेअर
10.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
11.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग / कुआ / अन्य	:	नहीं

चौहद्दी

खसरा नं0 100

पूरब	: खसरा संख्या–101
पश्चिम	: खसरा संख्या–98
उत्तर	: खसरा संख्या–99
दक्षिण	: खसरा संख्या–122

बीस हजार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
Rs. 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000 रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 231820

प्रथम पक्ष की संख्या–03 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) सोहनलाल (2) राम प्रसाद व (3) किशुन पुत्रगण गुन्ने, निवासीगण–ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	बोधी लाल पुत्र सुखई, निवासी– मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट–नवगाव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0। व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 442020

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) सोहनलाल (2) राम प्रसाद व (3) किशुन पुत्रगण मुन्ने, निवासीगण—ग्राम यूसुफनगर उर्फ मगियामऊ परगना— बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् बोधी लाल पुत्र सुखई, निवासी— मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट—नगांव, जिला—फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 442019

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या–100 रकबा 0.243 हेक्टेअर, स्थित–ग्राम– यूसुफ नगर बगियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00127 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में को हो गया है, उक्त भूमि विक्रेतागण को विरासत मे मिली है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 442018

दबाव के क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 444797
FEB 2007
A.T.O.R.G.
TRY LKO

वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि मे किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 8,64,305/– (रूपया आठ लाख चौसठ हजार तीन सौ पाँच मात्र) के प्रतिफल मे जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त मे दी गई अनुसूची मे वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 444796

है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है. तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता मोची लाल पुत्र सुखई, निवासी– मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला– फतेहपुर, उ0प्र0 के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, जो कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 19327

नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व से

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि को कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम यूसुफ नगर उर्फ भगियामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निर्धारित है, जिसके अनुसार विक्रीत भूमि रकबा 0.243 हेक्टेयर की मालियत रू0 2,67,300/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 86,500/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के आसपास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित

है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

भूमि खसरा संख्या–100 रकबा 0.243 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम– यूसुफ नगर बगियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

<u>परिशिष्ट : भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेतागण ने रू0 8,84,305/– (रूपया आठ लाख चौरासी हजार तीन सौ पाँच मात्र) द्वारा चेक संख्या क्रमशः 410385, 410386, 410387 दिनांकित 21.02.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

बिक्रय पत्र

30,215.00	365,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती ओमप्रकाश
पुत्र / पत्नी श्री मुन्ने
पेशा कृषि
निवासी स्थायी मुन्नूखेड़ा लखनऊ
अस्थायी पता

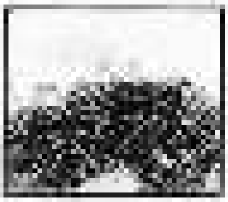

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 21/2/2007 समय 1:30PM
बजे निबंधन हेतु पेश किया।

के.के. शुक्ला
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ
21/2/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती ओमप्रकाश
पुत्र/पत्नी श्री मुन्ने
पेशा कृषि
निवासी मुन्नूखेड़ा लखनऊ

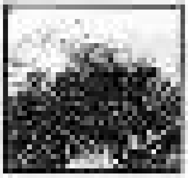

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]
पुत्र/पत्नी श्री मुन्ने
पेशा कृषि
निवासी [illegible]

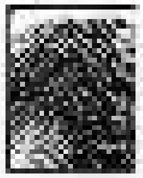

श्री/श्रीमती रामप्रकाश
पुत्र/पत्नी श्री मुन्ने
पेशा कृषि
निवासी मुन्नूखेड़ा लखनऊ

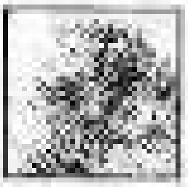

श्री/श्रीमती [illegible]
पुत्र/पत्नी श्री मुन्ने
पेशा कृषि
निवासी मुन्नूखेड़ा लखनऊ

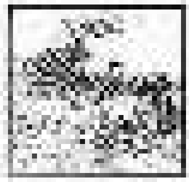

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 8,64,305/- (रूपया आठ लाख चौसठ हजार तीन सौ पाँच मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते है।

<u>नोट</u> : पृष्ठ संख्या–12 पर चैक संख्यायें पेन से लिखी है।

लखनऊ
दिनांक: 21.02.2007
<u>गवाह</u>:

1. [illegible]

2. [illegible]

विक्रेतागण

क्रेता

टाईपकर्ता
(रामसनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता
(सैय्यद अन्जार हुसैन)
एडवोकेट

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री [illegible] [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी [illegible]
व श्री [illegible] [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी [illegible]
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

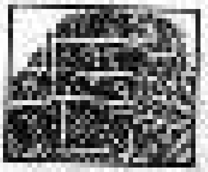

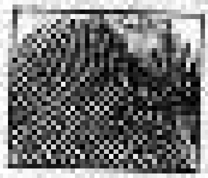

के.के. शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
21/?/2007

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता:–

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

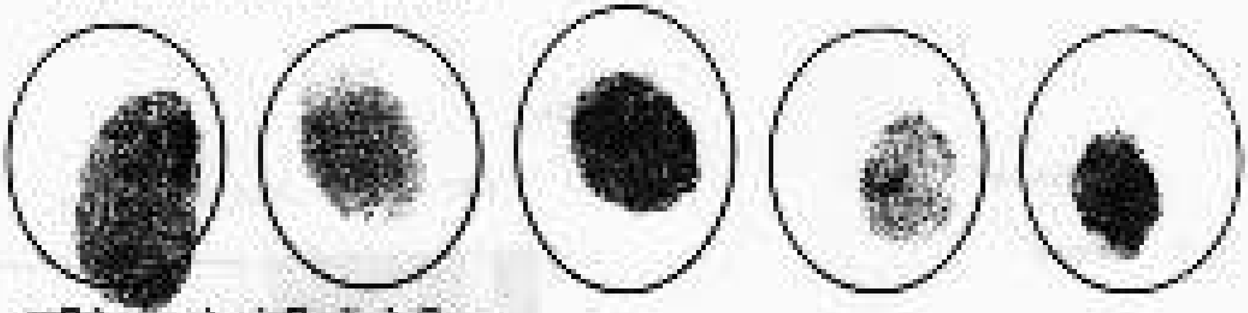

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

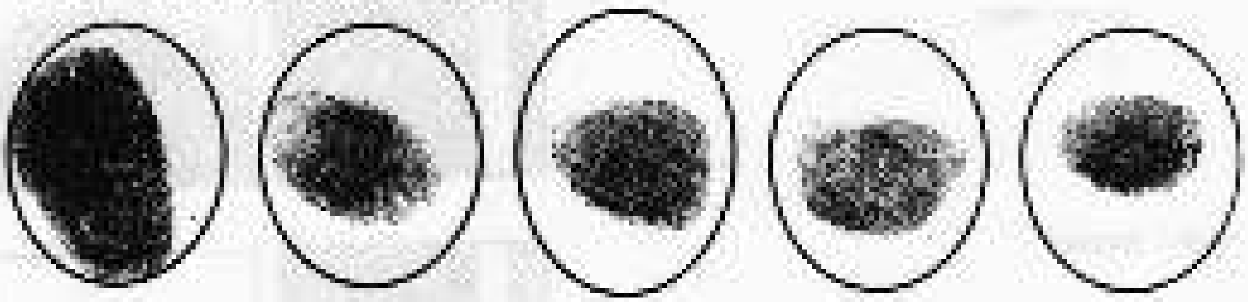

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:–

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

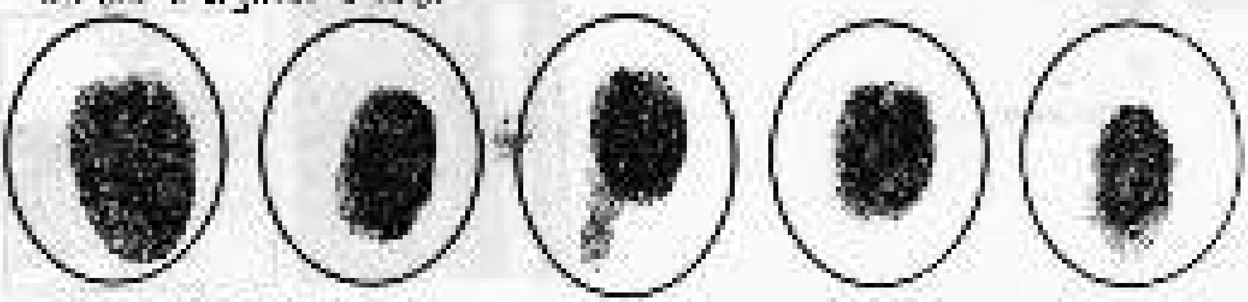

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

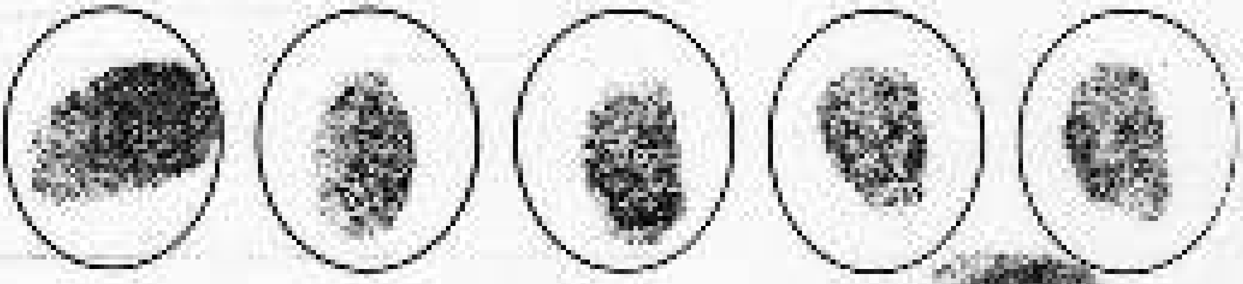

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर:–

[illegible]

Registration No 1602 Year : 2007 Book No. I

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0102 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0103 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

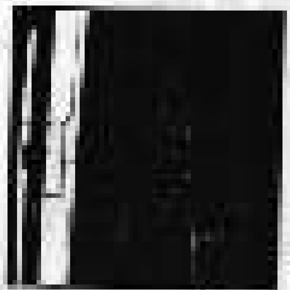

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

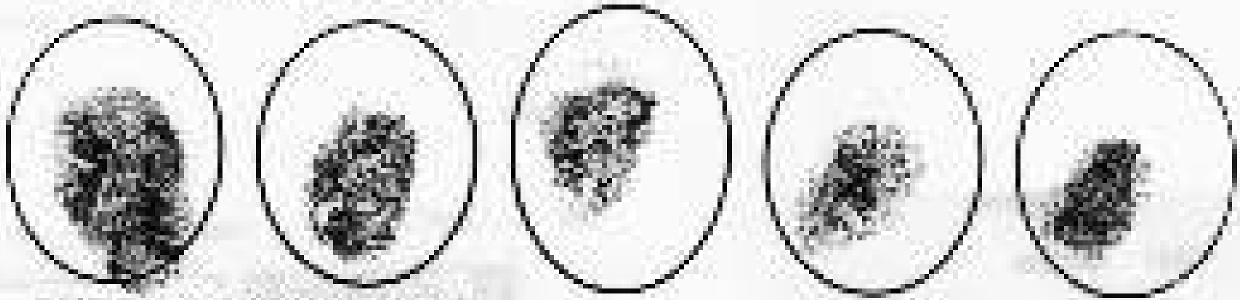

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

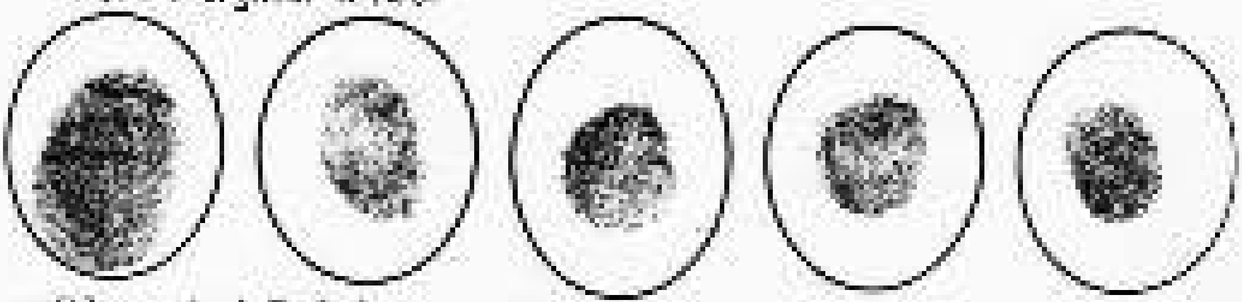

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

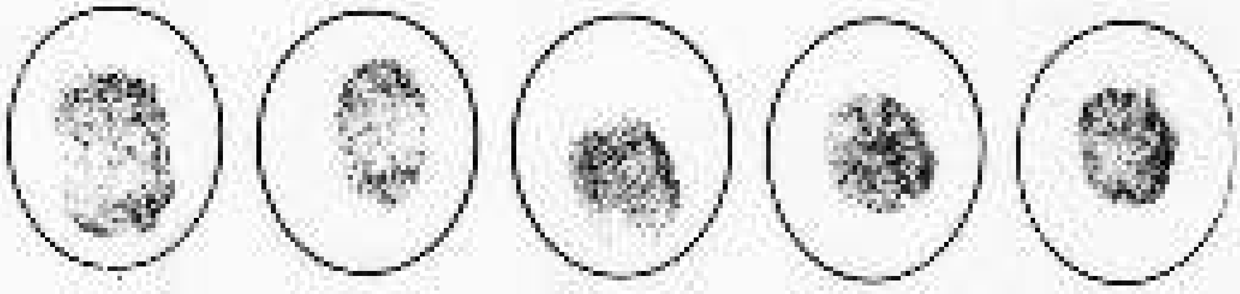

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. 1692 Year : 2007 Book No. 1

0201 [illegible]
पुत्र
[illegible]
कृषि

नक्शा नजरी

ग्राम

खसरा संख्या–

विक्रेता

क्रेता

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

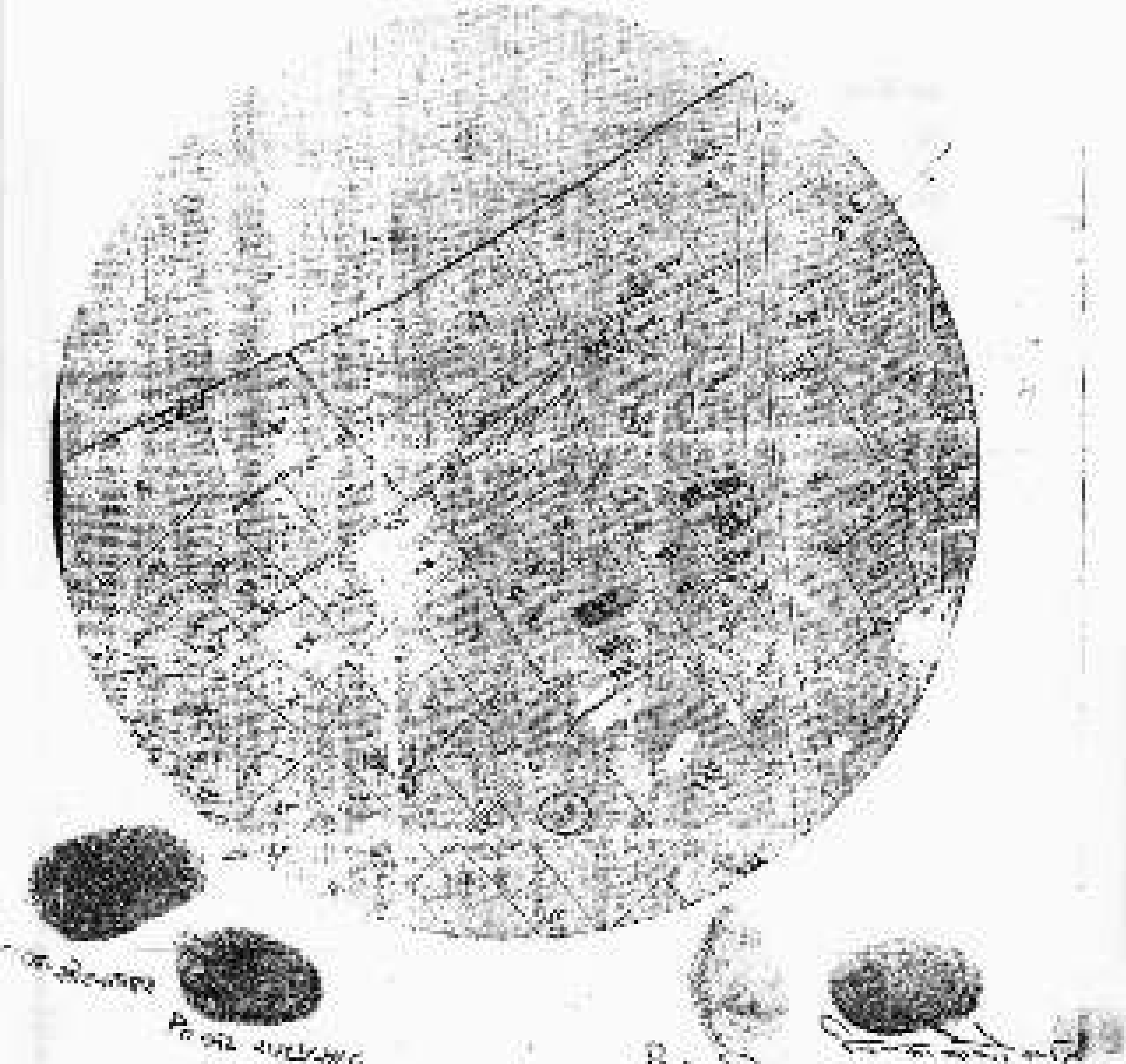

आज दिनांक 21/02/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8130

पृष्ठ सं 271 से 302 पर क्रमांक 1692

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

21/2/2007